फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– फता **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – विविध आ. 9 नि. 4 जा.दी. **पत्रावली संख्या :40/24**

जीसीएमएस : 2024/163

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 29.08.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 जा.दी. पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अन्य न्यायालय में व्यस्त होने से न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हो सकने का कथन किया। मूल पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी मय अधिवक्ता प्रार्थी दोनो ही अनुपस्थित रहने पर दिनांक 28.03.2023 को उभय पक्ष की अनुपस्थिति में वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका हैं। कृषि भूमि से सम्बन्धित वाद होने से प्रार्थी का हित निहित है। जानकारी में आते ही समयावधि से पूर्व ही वादी द्वारा प्रार्थना पत्र मय धारा 5 अवधि अधिनियम का पेश किया है जो अन्दर मयाद होना बताकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण सं. 275/14 अनवान फता बनाम राज्य दिनांक 28.03.2023 को वादी मय अधिवक्ता वादी दोनो अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण दिनांक 28.03.2023 को वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम में माकुल कारण बताया जिससे यह न्यायालय संतुष्ट हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। प्रकरण पुराना होकर कृषि भूमि से सम्बन्धित होने से वादी को सुना जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप वाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा.दी. मय धारा 5 अवधि अधिनियम का 1000/– एक हजार रूपया कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 275/14 वाद फता बनाम राज्य में आदेश दिनांक 28.03.2023 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में प्रार्थी उक्त कोस्ट की राशि 1000/– एक हजार रूपया राजकोष मे जरिये चालान जमा करा चालान की प्रति पत्रावली में पेश करे। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। **(मनसुख राम डामोर)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:58:24 IST
Reason: SelfAttested